संख्या-42/2025/241/26-3-2025-1362880

प्रेषक,

रजनी कान्त पाण्डेय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 28 फरवरी, 2025

विषयः- वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत ट्रांजेक्शन फेल की राशि के भुगतान की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4087/स0क0/शिक्षा-अ/7/256/2024-25 दिनांक 16.01.2025 एवं संख्या-4616/स0क0/शिक्षा-अ/8/256/2024-25 दिनांक 21.02.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत ट्रांजेक्शन फेल से सम्बन्धित 5563 अनुसूचित जाति छात्रों के सापेक्ष धनराशि रू0-10,18,45,256/- के भुगतान की अनुमति चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-80 में जारी वित्तीय स्वीकृति से प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराया गया है कि विभिन्न कारणों यथा- विभिन्न बैंकिग नियमों जैसे- आधार मैप्ड न होने, आधार सीडेड न होना, खातें में अधिकतम लिमिट सेट होना, खाता बंद होना, खाते में के0वाई0सी0 न होना आदि के कारण ट्रांजेक्शन फेल होने से छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो पाया है।

सम्बन्धित वर्षों में अध्ययनरत रहे व ट्रांजेक्शन फेल हो जाने के कारण छात्रों को समयान्तर्गत छात्रवृत्ति की धनराशि प्राप्त न होने से वंचित अनुसूचित जाति छात्रों द्वारा सी०एम० हेल्पलाइन, पीजी पोर्टल, 1076 पोर्टल, जनसुनवाई संदर्भ पोर्टल पर शिकायत करते है। इसके अतिरिक्त संबंधित छात्र जनपदीय कार्यालयों में जिलाधिकारी के यहां मांग हेतु शिकायत करने हेतु चक्कर लगाते रहते है। छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति न पाने के कारण छात्र विद्यालय की फीस समय से जमा नहीं कर पाते है, जिस कारण विद्यालय द्वारा उनके शैक्षणिक प्रपत्र/रिजल्ट छात्रों को उपलब्ध नहीं कराये जाने की संभावना हो सकती है जिससे छात्रों द्वारा मा0 न्यायालय में रिट याचिका दायर करने की प्रबल संभावना है।

3- इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोंपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत ट्रांजेक्शन फेल से सम्बन्धित 5563 अनुसूचित जाति छात्र/छात्राओं के सापेक्ष धनराशि रू0 10,18,45,256/- (रूपये दस करोड़ अट्ठारह लाख पैंतालीस हजार दो सौ छप्पन मात्र) के भुगतान की अनुमति चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-80 में जारी वित्तीय स्वीकृति से प्रदान किये जाने पर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहमति प्रदान की जाती है:-

(1) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिन छात्रों का ट्रान्जेक्शन फेल्योर हुआ था, उन्ही छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति की जाए।

(2) योजनान्तर्गत ट्रांजेक्शन फेल से सम्बन्धित अनुसूचित जाति के छात्रों की पात्रता का मूल्यांकन / परीक्षणों परान्त छात्रवृत्ति/शुलक प्रतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान आधार सीडेड एकाउन्ट में किया जायेगा।

(3) योजनान्तर्गत ट्रांजेक्शन फेल से सम्बन्धित अनुसूचित जाति के पात्र छात्रों के सुसंगत बैंक खातों में अंतरण के सम्बन्ध में संतुष्ट होने के उपरान्त कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष,2024-25 में आवश्यक धनराशि की उपलब्धता के सम्बन्ध में सुनिश्चित हो लेगें तथा राजकोष में धनराशि जमा होने की पुष्टि स्वस्तर से कर लेगें।

(5) चालू वित्तीय वर्ष में यह प्रयास किया जायेगा कि छात्रवृत्ति का वितरण समयान्तर्गत हो जाए, ताकि ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो।

(6) सुनिश्चित हो लेंगे कि भविषय में इस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(7) सुसंगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों/नियमावली में प्राविधानित व्यवस्था/भारत सराकर की गाइडलाईन में उल्लिखित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

Signed by
Rajani Kant Pandey

(रजनी कान्त पाण्डेय)
उप सचिव।

Date: 28-02-2025 16:55:47

पृ0 संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम एंव द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
5- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
6- गार्डफाइल

(रजनी कान्त पाण्डेय)
उप सचिव।